



2026:AHC:66

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3765, वर्ष 2025

संजू देवी
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव,
संदीप कुमार सिंह
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. यह जनहित याचिका (पी.आई.एल) निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-
"न्याय के हित में परमादेश की प्रकृति का एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या 6 को सार्वजनिक उपयोग की भूमि (खाद गड़ढा)—गाटा संख्या 201, जिसका क्षेत्रफल 0.056 हेक्टेयर में से 0.0010 हेक्टेयर है—से बेदखल करें; यह भूमि ग्राम शाहकुंदनपुर, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ में स्थित है।"
2. तहसीलदार सदर, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 5.1.2026 को भेजा गया निर्देश अभिलेख पर ले लिया गया।
3. श्री आशुतोष कुमार राय, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने 5.1.2026 के निर्देश के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि तहसीलदार द्वारा, विचाराधीन भूखंड के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 6 तथा महेंद्र के विरुद्ध बेदखली और हर्जाने का आदेश दिनांक 12.2.2025/7.3.2025 को पारित किया गया था। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि बेदखली और हर्जाने के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 6 तथा महेंद्र द्वारा बहाली के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जो अभी लंबित हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उपर्युक्त बहाली आवेदनों के निस्तारण हेतु 8 जनवरी, 2026 की तिथि निर्धारित है; अतः, जब तक लंबित बहाली आवेदनों का विधि के अनुसार निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 67 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत यह वर्तमान जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

4. यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश के निष्पादन के लिए, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैराग्राफ 460 में उपाय प्रदान किया गया है; अतः, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

5. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली और हजाने के आदेश के विरुद्ध बहाली के आवेदन लंबित हैं।

6. इस जनहित याचिका में की गई प्रार्थना को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

7. इस मामले में किसी दखल की ज़रूरत नहीं है।

8. इसलिए जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

5 जनवरी 2026

सी. प्रकाश